## कार्यालय- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / मा-ब / 22803 / विविध / 2018-19 /

दिनांक : 06/03/19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक।

विषय :--

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1 के अध्याय 3 की धारा 16 में विशेष योग्यजनों के लिए वर्णित शिक्षण संस्थाओं के कर्तव्यों से संबधित प्रावधानों की पालना बाबत।

पसंग :-

शासन उप सचिव—प्रथम के पत्रांक प.1(28)शिक्षा—1/2001 पार्ट1 जयपुर दिनांक 220.19 एवं प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का यू.ओ. नोट एफ.19(1)() वि.यो./2019/18585 दिनांक 19.02.19|

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र एवं यू.ओ.नोट के संदर्भ में लेख है कि अपने जिले की समस्त शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अध्याय 3 की धारा 16 की प्रति संलग्न कर लेख है कि विशेष योग्यजनों के लिए वर्णित शिक्षण संस्थाओं के कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाने का श्रम करावें।

16. The appropriate Government and the local authorities shall Endeavour that all educational institutions funded or recognised by them provide inclusive education to the children with disabilities and towards that end shall-

- i. Admit them without discrimination and provide education and opportunities for sports and recreation activities equally with others;
- ii. make building, campus and various facilities accessible;
- iii. provide reasonable accommodation according to the individual's requirements;
- iv. provide necessary support individualised or otherwise in environments that maximise academic and social development consistent with the goal of full inclusion
- v. ensure that the education to persons who are blinds or deaf or both is imparted in the most appropriate language and modes and means of communication;
- vi. detect specific learning disabilities in children at the earliest and take suitable pedagogical and other measured to overcome them;
- vii. monitor participation, progress in terms of attainment levels and completion of education in respect of every student with disability;
- viii. provide transportation facilities to the children with disabilities and also attendant of the children with disabilities having high supports needs.

www.rajteachers.com

उप निदेशक(माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासंन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का यू.ओ.नोट एफ.19(1)() वि.यो. /2019/18585 दिनांक 19.02.19 के कम में सूचनार्थ।

2. शासन उप सचिव—प्रथम के पत्रांक प.1(28)शिक्षा—1/2001 पार्ट1 जयपुर दिनांक 220.19 के कम में सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर